Email-dfo.chamawat @rediffmail.com

सेवा में, पत्रांक 1252/12-1 दिनांक, चम्पावत 11-9-2024

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई,
लोहाघाट (चम्पावत)।

विषयः– जनपद–चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूंण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.940 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। **(FP/UK/ROAD/25934/2017)**

संदर्भः– आपकी पत्र सं0 743/पी0एम0जी0एस0वाई/दिनांक 07.09.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या – **8B/UCP/06/36/2018/FC/619** दिनांक 03.07.2018 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एन0पी0वी0 की धनराशि हरियाली घनत्व 0.20 के अनुसार धनराशि 3867870.00 (अड़तीस लाख सड़सठ हजार आठ सौ सत्तर) मात्र जमा की गई है जबकि भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र से जारी दिशा–निर्देश के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि हरियाली घनत्व 0.20 के अनुसार 6976158.00 (उनहत्तर लाख छिहत्तर हजार एक सौ अठावन) मात्र जमा की जानी है जिसके लिए एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

भारत सरकार के उक्त पत्र से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन0पी0वी0 की दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है–

1.	ईको–क्लास श्रेणी	=	V^{th}
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.2(20%)
3.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	1005210.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	6.94
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	=	6976158.00
6.	पूर्व में जमा की गई एन0पी0वी0 धनराशि (रुपये)	=	–3867870.00
	वर्तमान में देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रुपये)	–	**3108288.00**

इकतीस लाख आठ हजार दो सौ अठासी मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

संख्या– /दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. जिलाधिकारी, चम्पावत।

JEC

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

Scanned with OKEN Scanner